राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 18/22

दायर दिनांक 27.05.2022

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. अमरचन्द पुत्र घीसा जाति रेगर
2. सुशीला देवी पत्नि अमरचन्द जाति रेगर

सर्व निवासी ग्राम बुहारू तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

––प्रार्थीगण

बनाम

1. बसन्ती पत्नि रामप्रसाद जाति रेगर
2. हरीश चन्द्र पुत्र रामदीन जाति रेगर
3. गुलराज मौर्य पुत्र श्रवण लाल मौर्य जाति रेगर
4. नन्दू देवी पुत्री लक्ष्मण जाति जाट

सर्वनिवासी ग्राम बुहारू तहसील रूपगनढ़ जिला अजमेर

5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू–राज0अधि0

निर्णय

दिनांक 17.06.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की ख0न0 560, 560/688 की कुल रकबा 3.4681 है0 भूमि ग्राम बुहारू तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है। संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 560, 560/688 की भूमि के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 4 की खसरा नम्बर 561 की भूमि स्थित है। पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खसरा संख्या 559 एवं 559/726 व 839/559 की भूमि स्थित है तथा उत्तर दिशा में रेल्वे लाईन अवस्थित है तथा दक्षिण दिशा में सरकारी भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड व नक्शा में तरमीम की गयी वादग्रस्त खसरा नम्बर 560, 560/688 की कुल भूमि 3.4681 भूमि पर अर्से दराज से काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रतिवर्ष खरीफ की फसल काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण को वादग्रस्त खसरा नम्बर 560, 560/688 की भूमि को अपनी सुविधानुसार उपयोग उपभोग करने का अधिकार है जिसमें बाधाकारित करने का अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया। अप्रार्थीगण की उक्त अनुचित कार्यवाही के बाद प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 5 के समक्ष वादग्रस्त खसरा नम्बर 560, 560/688 की भूमि का सीमाज्ञान किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर पटवार हल्का बुहारू के पटवारी व गिरदावर ने दिनांक 10.05.2022 को मौके पर उपस्थित होकर वादग्रस्त खसरा नम्बर 560, 560/688 का राजस्व नियमो के अन्तर्गत सीमाज्ञान की कार्यवाही की/मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि पर काबिज पाये गये परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने सीमाज्ञान रिपोर्ट से असहमति प्रदान करते हुए मौके पर दिनांक 10.05.2022 को उपस्थित नहीं हुए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अप्रार्थी संख्या 5 के आदेश की अनुपालना में खसरा नम्बर 560, 560/688 की सीमाज्ञान की कार्यवाही की गयी जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 दिनांक 10.05.2022 को असहमत होने व भविष्य में सीमा के विवाद से बचने के उद्येश्य से वादग्रस्त खसरा नम्बर 560, 560/688 की भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 ने पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु सहमति /जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया व अप्रार्थी संख्या 2 ने पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु उपस्थित होकर मौखिक समहति जाहिर की। दिनांक 17.6.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 5 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पत्थरगढ़ी बाबत् सहमति जाहिर की है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बुहारू के ख0न0 560 रकबा 1.4780 है0, 560/688 रकबा 1.9901 है0 भूमि के पडोसी खातेदारो को सुचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)